न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
36/2019	20.05.2019	02.12.2021

अनवान

1. गेहरूलाल पिता गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भैरू लाल पिता गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. शंकर लाल पिता गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. डालु पिता मिठू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मु0 सोसर पुत्री मिठू पत्नी भगवान जाट उम्र वयस्क निवासी दगोलिया का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ।
2. माधु लाल पिता बख्तावर जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भागीरथ पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रामचन्द्र पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. महेन्द्र कुमार पिता मोती लाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. गेरू पिता छगु जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. नारायण पिता चतरभुज जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. गमेर पिता हीरा जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. भैरू पिता कालु जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. रामा पिता छगु जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. मनोहर पिता ऊंकार लाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. मु0 गुलाबी पत्नी गोपी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

13. उदा पिता खुराज जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी प्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 20.05.2019 को प्रस्तुत किया । जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 11 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 30.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। शेष द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र सुरपुर में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 1019, 1020, 1021, 1022, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1175, 1200, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374 कुल किता 16 कुल रकबा 7.25 है0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है। उनके हस्ताक्षर नहीं होने से अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 150 का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आरा[illegible]की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के [illegible] विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तथा मौजा सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 1019, 1020, 1021, 1022, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1175, 1200, 1370, 1371, 13[illegible], 1373, 1374 कुल किता 16 कुल रकबा 7.25 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested